

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 174/2022

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द सिंह | जाति जटसिख साकिन ज्वालासिंहवाला
तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 2. शिवराज सिंह पुत्र वजीर सिंह | |

— प्रार्थीगण

—बनाम:—

- रणदीप कौर पत्नी शमशेर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।
- शमशेर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- आकाशदीप पुत्र शमशेर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा | — प्रार्थीगण |
| 2. श्री संदीप सैन | — अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | — अप्रार्थी संख्या 2 |

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 24/09/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 252—क रा.का.अधि मय 151 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 57186 के प.नं. 20/311 (68) किला नं. 1 ता 25/2, प.नं. 21/312 (77) किला नं. 3/1 ता 8, 13 ता 18, 24, 25/1, 25/2, प.नं. 21/313 (83) किला नं. 3/1, 3/2, 8 की कुल 10.373 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थी सं.1 का 1/6 प्रार्थना पत्र है। हिस्सा व प्रार्थी सं.2 का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 145/104 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 11, 1221 की कुल 1.392 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 1/1, 2/1 में 0.013 – 0.013 हैक्ट. यानी 1 – 1 बिस्वा रास्ता धोरी खाला के चिपता बजानिब उतरी दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता से आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 21/312 (77) किला 0.013.1 नं. 1/1, 2/1 में 0.013 – 0.013 हैक्ट. यानी 1 – 1 बिस्वा रास्ता धोरी खाला के चिपता बजानिब उतरी दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्वीकृत करवाना चाहते हैं। जिसमें अन्य काश्तकारान की पूर्ण सहमति है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण डीएलसी दर की दौगुना राशि अथवा रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि अप्रार्थी सं.1 को देने के लिये तैयार है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।


अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज भूमि चक 16 पीबीएन के प. नं. 21/312 (77) किला नं. 1/1, 2/1 में 0.013 - 0.013 हैक्ट. यानी 1 - 1 विस्वा रास्ता धोरी खाला के चिपता बजानिब उतरी दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 की ओर से श्री संदीप सैन द्वारा हाजिर होकर बकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हेतु सहमती बनने पर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण प्रथम पक्ष के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 57/86 के प.नं. 20/311 (68) किला नं. 1 ता 25/2, प.नं. 21/312 (77) किला नं. 3/1 ता 8, 13 ता 18, 24, 25/1, 25/2, प.नं. 21/313 (83) किला नं. 3/1, 3/2, 8 की कुल 10.373 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थी सं.2 का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 145/104 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 11, 12, 21 की कुल 1.392 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2, 3 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 14/9 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 20, 21, 22/1 की कुल 0.696 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2 के नाम चक 16 पीबीएन के खाता सं. 73/45 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 12/2, 19, 22/2, 23 की 0.695 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण प्रथम पक्ष के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण प्रथम पक्ष अपनी भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2, 3 के नाम दर्ज भूमि चक 16 पीबीएन के प. नं. 21/312 (77) किला नं. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.015 - 0.015 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से आना जाना करते हैं व कृषि औजार लाते व ले जाते हैं। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिये अब प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाम दर्ज भूमि में से चक 16 पीबीएन के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.015 - 0.015 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अगर उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। उक्त स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता की एवज में प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से चक 16 पीबीएन के खाता सं. 57/86 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 3/1/.012, 8/.011, 13/.011, 18/.011 कुल 0.045 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाम दर्ज की जाती है तो प्रथम पक्ष को कोई


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आपत्ति व एतराज नहीं होगा। प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 607 दिनांक 01.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा पुर्व में स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की कम दूरी का रास्ता प.नं. 21/312(76) से है परन्तु वहाँ रास्ता चल रहा है एवं विवाद की स्थिति है जबकि प्रस्तावित रास्ता में सभी काश्तकारान की सहमति है। रास्ता सुचारु चल रहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ता पर सहमति हो गई है। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमति राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। मौका निरीक्षण के बाद सुविधा एवं सहमति होने पर तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 16 पी.बी.एन. के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 21, 22, 23 प्रत्येक में 0.015 – 0.015 हैक्ट. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के प्रतिफल के रूप में उक्त स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता की एवज में प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 16 पीबीएन के खाता सं. 57/86 के प.नं. 21/312 (77) किला नं. 3/1/.012, 8/.011, 13/.011, 18/.011 कुल 0.045 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 24/09/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा)